

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231237
CG-DL-E-18112021-231237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4405]
No. 4405]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4771(अ).—यतः, मै. फीनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने तेलंगाना राज्य के गाचिबॉवली गाँव, सैरिलिंगमपल्ली मंडल, जिला रंगारैडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2736(अ) दिनांक 16.08.2017 एवं का.आ.1269(अ) दिनांक 16.03.2018 द्वारा क्रमशः 2.39 हेक्टेयर तथा 0.50 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. फीनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अब 0.71 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया है;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.71 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 3.60 हेक्टेयर हो जाएगा। अतिरिक्त क्षेत्र हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थातः-

तालिका

क्रम संख्या	ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	गाचिबॉवली	36/पार्ट	0.71
	कुल		0.71
उपर्युक्त जोड़ के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			3.60

[फा. सं.एफ.1/19/2017-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4771(E).—WHEREAS, M/s. Phoenix Ventures Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for IT/ITES at Gachibowli Village, Serilingampally Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified 2.39 hectares and 0.50 hectare as Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2736 (E) dated 16.08.2017 and S.O. 1269 (E) dated 16.03.2018 respectively;

AND WHEREAS, M/s. Phoenix Ventures Private Limited has now proposed to include an area of 0.71 hectare as a part of above Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an additional area of 0.71 hectare, as a part of above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 3.60 hectares. The survey number and the area for addition area is given below in the table, namely: -

TABLE

S. No.	Village	Survey No.	Area in hectares
1.	Gachibowli	36/part	0.71
Total			0.71
Grand total area of SEZ after above addition			3.60

[F. No. F.1/19/2017-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.